



मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय,  
CMS Office,  
मंडल रेल अस्पताल, राजकोट।  
Divisional Railway Hospital, Rajkot.

No MD/173/1/DRM/RJT/2024-25/01 Date: 29-06-2024.

कार्यालय का पता: मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल पश्चिम रेलवे, कोठी परिसर जामनगर रोड,  
राजकोट-360001।

निविदा संख्या. MD/173/1/DRM/RJT/2024-25/01

**कार्य का नाम :** राजकोट मंडल और पश्चिम रेलवे के अन्य मंडलों के सेवानिवृत्त और सेवारत रेलवे कर्मचारियों और लाभार्थियों के लिये कम से कम पचास बेडवाले निजी अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों का नया गठजोड़। मंडल रेलवे अस्पताल, राजकोट में। यह मंडल रेलवे अस्पताल, राजकोट के संबंधित रेलवे चिकित्सा प्राधिकरण से नियमित रेफरल हेतु एवं जांच/परीक्षण निम्नलिखित स्थानों पर किए जाने की आवश्यकता है।

- (i) जामनगर में मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल।
- (ii) सुरेंद्र नगर में प्रयोगशाला जांच केंद्र।
- (iii) राजकोट मंडल रेलवे अस्पताल में भर्ती मरीजों को भोजन की आपूर्ति।

सभी अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए शुल्क एनएबीएच/गैर-एनएबीएच के लिए CGHS दर (अहमदाबाद 2014 दर सूची में दर्शाई गई प्रक्रियाओं के लिए या कम दरों/कम प्रतिस्पर्धी) के बराबर या उससे कम होगा। इच्छुक निजी अस्पताल प्रक्रियाओं/जांच सूची के लिए अपना दर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

निजी अस्पतालों को रेलवे के मरीजों के लिए आवश्यक जांच/प्रक्रिया करनी होगी। ऐसी जांच/प्रक्रियाओं की सूची एक सप्ताह के बाद रेलवे अस्पताल, राजकोट से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निजी अस्पताल निर्धारित प्रोफार्म में अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल, पश्चिम रेलवे, कोठी कंपाउंड जामनगर रोड, राजकोट -360001) से एकत्र किए जा सकते हैं, और **20-07-2024 से पहले सीलबंद लिफाफे में वापस जमा कर सकते हैं।**

अनुबंध की अवधि: **तीन साल।**

उपरोक्त कार्य में रुचि रखने वाले निजी प्रयोगशालाएं / संस्थान अस्पताल / लिनन ठेकेदार तुरंत सीएमएस कार्यालय, मंडल रेलवे अस्पताल, कोठी कंपाउंड, राजकोट को इच्छा पत्र भेजें। प्राधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी इन निजी संस्थानों/अस्पतालों/प्रयोगशालाओं का उनके बुनियादी ढांचे/जनशक्ति/प्रदान की गई गुणवत्ता आदि की जांच के लिए निरीक्षण करेंगे।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच/1/11/69 अस्पताल मान्यता दिनांक 23-12-2016 के अनुसार चयनित निजी अस्पताल और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

चयनित अस्पताल/संस्थान को प्रदर्शन गारंटी (पीजी) क्रम संख्या (i) के लिए 2 लाख और क्रम संख्या (ii) एवं (iii) के लिए 50 हजार रुपये की राशि रेलवे के साथ 39 महीने के लिए जमा करनी होगी।

अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक  
राजकोट

अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,  
Chief Medical Superintendent  
पश्चिम रेलवे-राजकोट  
W Rly. Rajkot